

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संसं० - 9/आ०-2-14/2016 1761(9) दिनांक- 20/12/2016
डा० विजय कुमार सिन्हा, अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग, अरवल के बिरुद्ध प्रपत्र 'क' में यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम में लापरवाही, यक्ष्मा नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षणों में भाग नहीं लेने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना आदि आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 552(9) दिनांक 31.05.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। तदालोक में समर्पित अपने स्पष्टीकरण दिनांक 07.06.2016 में डा० सिन्हा ने लिखा है कि यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम में दिसंबर 2014 में वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक के पद रिक्त रहने के कारण प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। आँख की बीमारी तथा अन्य व्यस्तताओं के कारण यक्ष्मा नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकें।

आरोप एवं स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षोपरांत डा० विजय कुमार सिन्हा को भविष्य में सरकारी आदेश को अवहेलना नहीं करने की 'चेतावनी' के साथ स्वीकार किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश
ह०/
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
स्वा० विभाग, बिहार, पटना।

- ज्ञापक: 1361(9) /स्वा०, पटना, दिनांक: 20/12/2016
- प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (ल० एवं ह०) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन अरवल को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- डा० विजय कुमार सिन्हा, अपर उपाधीक्षक-सह- सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 1,2,3,5,7,8,9,10,12,17 एवं 18 (प्र० को०) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव